





**कार्यालय,**

**उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सखनऊ।**

संख्या - प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**-कार्यालय आपन-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-समवेत काउंसिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा सारीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उत्तर) सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार कर्तों हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन मास्टरक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 3303-MEJOR S.D. SINGH COLLEGE OF PHARMACY, BEWAR ROAD, FARRUKHABAD**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएसीपीआईए पीपीसीआईए द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आईएसीपीआईए/पीपीसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विनियमों एवं अधिसूचों का अनुपालन करेगी तथा प्रत्येक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित प्रत्येक तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु ₹० 30-50,000- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-15000,000- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500,000- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से प्रत्येक के मास्टरक्रम में समय-समय पर प्राप्त हुए निर्गत किये जाने वाले शसनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। अंश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम बरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर) प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा उम द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को सम्बद्ध किया जाना, विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित नई संस्थाओं को प्रवेश देने के विचार रखे जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शसनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।